रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-08122022-240886 CG-DL-E-08122022-240886

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5482]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 8, 2022/अग्रहायण 17, 1944 NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 8, 2022/AGRAHAYANA 17, 1944

No. 5482]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 2022

का.आ.5718(अ).—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3774(अ) तारीख अगस्त 10,2022 जो क्रमशः भारत के असाधारण राजपत्र तारीख अगस्त 12, 2022 मे प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य में बरौनी – गुवाहाटी पाइप लाइन (बी जी पी एल) के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने जनता से प्राप्त आक्षेपों को परीक्षण के उपरांत निपटान कर दिया है;

और, सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है:

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइनें बिछाने के लिए अपेक्षित है, उस में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

8148 GI/2022 (1)

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइनें बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और भारत सरकार, उक्त अधिनियम कि धारा 6 कि उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, निर्देश देती है कि पाइपलाइनें बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को, भारत सरकार में निहित होने के बजाए, पाइपलाइनें बिछाने का प्रस्ताव करने वाली गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा और तदुपरि, भूमि में ऐसे उपयोग का अधिकार, इस प्रकार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुये, सभी विल्लंगमों से मुक्त, गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा।

बरौनी & गुवाहाटी पाइपलाइन परियोजना अनुसूची राज्य & पश्चिम बंगाल क्षेत्रफल मौजा जिला थाना थाना नं सर्वे नं हेक्टेअर-आर-वर्ग मीटर पानीकौरी ०३ जलपाईगुरी राजगंज मायनागुरी जलपाईगुरी उत्तर माधबडांगा

4319	00	01	88
4286	00	00	66
4308	00	02	18
4307	00	16	86
4278	00	03	34
4277	00	03	00
4321	00	02	77
4322	00	06	40
4276	00	01	37
4275	00	00	06
4325	00	08	16
4324	00	04	27
4309	00	01	49
4312	00	16	51

[फा. सं. एल-14014/172/2022-जी-पी-II(ई-44010)]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS NOTIFICATION

New Delhi, the 5th December, 2022

S.O. 5718(E).—Whereas by notification of Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas numbers **S.O.** 3774 (E) dated 10-08-2022 issued under sub- section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated 12-08-2022, the Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of natural gas through Barauni–Guwahati Pipeline (BGPL) in the State of **WEST BENGAL** by GAIL (India) Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public;

And whereas the objections received from the public to the laying of the pipeline have been considered and disposed of by the Competent Authority;

And, whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted its report to Government of India;

And whereas Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipelines, has decided to acquire the Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, Government of India hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the GAIL (India) Limited, free from all encumbrances.

	BARAUNI - GUWAHATI PIPELINE PROJECT							
SCHEDULE								
State : West Bengal								
District	Thana	Thana Village JL N	JL No.	Survey No.	Area Hect Are - Sq. mtr. 6			
1	2 Rajganj	3 Panikauri (03)	4 12	5				
Jalpaiguri				1909	00	01	(
				1910	00	03		
				1922	00	02		
				1923	00	02		
				1924	00	02		
				1925	00	02		
				1926	00	00		
				1927	00	00		
				1939	00	00		
				1940	00	00		
				2655	00	02		
				2656	00	02		
				2657	00	03		
				2658	00	01		
Jalpaiguri	Maynaguri	Uttar Madhabdanga	53	4156	00	05		
				4157	00	00		
				4160	00	02		
				4159	00	07		
				4144	00	07		
				4140	00	00		
				4279	00	05		
				4283	00	00		
				4319	00	01		
				4286	00	00		
				4308	00	02		
				4307	00	16		
				4278	00	03		
				4277	00	03		
				4321	00	02		
				4322	00	06		

F XX 0 (11) 3		_
[भाग II—खण्ड 3(ii)]	भारत का राजपत्र : असाधारण	_
1414 11—9.3 2(11)1	मारत का राजका . जताबारक	J
- ()3		_

		4276	00	01	37
		4275	00	00	06
		4325	00	08	16
		4324	00	04	27
		4309	00	01	49
		4312	00	16	51

[F. No. L-14014/172/2022-GP-II(E-44010)]

RAKESH MISHRA, Under Secy.